



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245124
CG-DL-E-12042023-245124

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945

No. 13]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023

फा. सं. 25/5/2021-आरएंडआर.—राष्ट्रपति, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 76 (6) के संदर्भ में, श्री जिष्णु बरुआ, सेवानिवृत्त, आईएएस (एम 1988) को, एतद्वारा दिनांक 02 मार्च, 2023 से पांच वर्षों की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए 4,50,000/- रुपये प्रति माह (निवास तथा वाहन को छोड़कर) के समेकित वेतन पर, अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2023

F. No. 25/5/2021-R&R.—In terms of section 76 (6) read with section 89(1) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri Jishnu Barua, ret'd. IAS (AM 1988), as Chairperson, Central Electricity Regulatory Commission (CERC) on consolidated pay of Rs. 4,50,000/- per month (without house and car) for a period of five years w.e.f. 2nd March 2023, or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.